मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 11920 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 23/12/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला – समस्त (म.प्र.)

महत्वपूर्ण
समय–सीमा

विषय :– कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर संधारण होने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्कीम के लिये अनुमोदित लेखा लेखापरीक्षा एवं मॉनीटरिंग मैन्युअल के बिन्दु 7.17 एवं 9.71 के अनुसार एनआरईजीएस–एम.पी./आई.ए/एफ–32 में परिसम्पत्तियों का रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार ऑपरेशनल गाईड लाईन 2008 के बिन्दु 11.4 अनुसार भी कार्यों के भौतिक सत्यापन हेतु निर्देश दिये गये हैं।

विभिन्न वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में सनदी लेखाकार ने भौतिक सत्यापन न करने की टीप दी है, उदाहरण के लिए कतिपय् जिलों जैसे बड़वानी, खण्डवा, खरगोन, सीधी आदि की सीए ऑडिट रिपोर्ट में इस विषयक अंकेक्षक ने टीप दी है। अंकेक्षण रिपोर्ट में आस्तियों के सत्यापन विषयक आपत्ति का निराकण आवश्यक है। कार्यों पर हुए व्यय से परिसम्पत्तियों के निर्माण का रजिस्टर अनिवार्यरूप से अद्यतन स्थिति में किसी भी लेखा परीक्षक दल को अनिवार्यरूप से प्रोएक्टिव होकर परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।

परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु आपके स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार कर योजना प्रारंभ से निरंतर अद्यतन स्थिति तक के कार्यों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करवाये। इस पत्र से संलग्न प्रमाण–पत्र परिषद् मुख्यालय एवं संभागायुक्त कार्यालय को 15 जनवरी 2011 तक अनिवार्यतः प्रेषित करें। परिसम्पत्तियों का प्रतिमाह भौतिक सत्यापन एवं रजिस्टर का संधारण होता रहे यह सुनिश्चित करें।

जिले आंतरिक लेखा परीक्षण के दौरान भी इस रजिस्टर को अनिवार्यरूप से आंतरिक लेखा परीक्षण दल द्वारा अंकेक्षित किया जाये। भविष्य में निश्चय ही निष्पादन लेखा परीक्षा या अन्य लेखा परीक्षा में इस बिन्दु को देखा जायेगा। अतः इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न रखी जाये।

(शिव शेखर शुक्ला) 23/12/11
आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

पृ.क्रमांक/ 11921 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 23/12/11

प्रतिलिपि –

1. संभागायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त 23/12/11
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना के परिप्रेक्ष्य में लेखा लेखापरीक्षा एंव मानीटरिंग मैनुअल के बिन्दु 7.17.1 एवं 9.7.1 के परिप्रेक्ष्य में जिले में परिसम्पत्ति रजिस्टर का संधारण एवं योजना प्रारंभ से अद्यतन दिनाक तक के कार्यों का सत्यापन कर लिया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भविष्य में प्रतिमाह भौतिक कार्यों के सत्यापन की कार्यवाही जिले में सुनिश्चित की जायेगी। एवं प्रतिमाह परिसम्पत्ति रजिस्टर का संधारण अद्यतन रखा जायेगा।

लेखाधिकारी एनआरईजीएस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक

will be within its right to stop the funds for the next financial year. The responsibility for payment of unemployment allowance arising out of the non-availability of funds for this reason shall be on the State Government.

11.3.4 The District Programme Coordinator will ensure that the Opening and Closing Balance included in both the Audit Report and the Utilization Certificate tally. In case there is variation due to any unavoidable reason, it has to be clearly explained with reasons to the satisfaction of the Ministry, with documentary support, if any. If this is not done, the Ministry may stop further release of funds in the next year.

11.3.5 To illustrate, the Audit Report for the year 2005–06 should be submitted by 30 September 2006, and the observations of the Auditors and the Ministry must be complied with to the satisfaction of the Ministry by 31 March 2007. In case this is not done, the Ministry may stop further release of funds in 2007–08.

11.3.6 Processing of reports of social audit by the Gram Sabha: A District Internal Audit Cell in the office of the District Programme Coordinator shall be constituted to scrutinize the reports of the Gram Sabha and conduct a special audit, if necessary. A Monthly Report will be compiled and sent to the District Programme Coordinator, State Programme Coordinator and the State Government. These authorities will initiate action to address serious irregularities and also take appropriate preventive action.

11.4. PHYSICAL AUDIT

11.4.1 A Physical Audit of the works undertaken will be conducted to verify the quality of works and to check that the expenditures incurred have led to the creation of durable assets.

11.5. ACTION ON AUDIT REPORTS BY THE STATE GOVERNMENT

11.5.1 A copy of every Audit Report, whether conducted by the Chartered Accountant, the Local Fund Auditor or the Internal Audit Cell and auditors of the Accountant General or Comptroller and Auditor General, and Social Audit Reports will be sent to the State Government concerned.

11.5.2 The State Government will ensure speedy action against the concerned officials/ non-officials for misappropriation of funds, frauds, incorrect measurement, false entries in the muster rolls and other irregularities of a serious nature, resulting in the leakage of Government/public funds/resources and the denial of entitlements to workers. The State Government will also take appropriate steps to prevent such irregularities.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
परिसंपत्तियों के रजिस्टर की सूची
{पैरा 7.17.1 एवं 9.7.1 में निर्दिष्ट}

स.क्र.	कार्य का नाम	पृष्ठ क्रमांक

एनआरईजीएस–एमपी/आईए/एफ–32

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
परिसम्पत्तियों का रजिस्टर
{पैरा 7.17.1 एवं 9.7.1 में निर्दिष्ट}

1. कार्य का नाम :
2. कार्य की प्रकृति :
3. कार्य का स्थान :

ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... जनपद ..... जिला .....

4. क्या कार्य पंचवर्षीय योजना की भावी योजना में सम्मिलित था : (हॉ/नहीं)
5. क्या कार्य जिला पंचायत द्वारा वार्षिक योजना में सम्मिलित था : (हॉ/नहीं)
6. क्या स्थानीय निगरानी समिति गठित की गई है : (हॉ/नहीं)
7. तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक :
8. अनुमानित लागत :
9. कार्य प्रारंभ होने की तिथि :
10. कार्य पूर्ण करने का अनुमानित समय :
11. कार्य पूर्ण होने का वास्तविक दिनांक :

माह/व्हाऊचर क्रमांक	मस्टर रोल क्रमांक	अकुशल श्रमिकों की मजदूरी	अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों की मजदूरी	सामग्री	आकस्मिक व्यय	किया गया कुल व्यय (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
पिछले माह के अंत तक का व्यय						
1						
2						
3						
माह में किया गया व्यय						
माह के अंत तक का व्यय						

टीप :

1. रजिस्टर ग्राम पंचायत एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा संधारित किया जावेगा।
2. कार्य की प्रकृति में, जल संवर्धन एवं संरक्षण, सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौध रोपण), बाढ़ नियंत्रण, बारह मासी ग्रामीण पहुंच मार्ग एवं अन्य कार्य सम्मिलित हैं।
3. आकस्मिक व्यय में कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा के लिये व्यय, श्रमिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान एवं उन पर चिकित्सकीय व्यय सम्मिलित हैं।